

पत्रांक 181 / दि०स०का०, दिनांक 09.08.19

प्रेषक,

सहायक निदेशक,  
ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,  
पटना।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
नौबतपुर, बिहटा, मनेर एवं दानापुर।

विषय:-

दिनांक 10.08.2019 को राज्य आयुक्त निःशक्ता, बिहार, पटना का दानापुर अनुमण्डल के अन्तर्गत प्रखण्डों में भ्रमण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

राज्य आयुक्त निःशक्ता, बिहार, पटना का पत्रांक 901, दिनांक 08.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य आयुक्त निःशक्ता, बिहार, पटना का दानापुर अनुमण्डल के अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में दिनांक 10.08.2019 को भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम में प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन (21 प्रकार) में से कम से कम पाँच प्रकार के दिव्यांगजन के साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी०आर०पी०, सेविका, ए०एन०एम कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया, सरपंच, समाजसेवी, दिव्यांगजन कार्यकर्ता आदि के साथ पंचायत स्तर के बने हुये दिव्यांगजन समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखण्ड स्तर के बने दिव्यांगजन समूह, जिसमें से प्रखण्ड स्तर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी दिव्यांगजन के अध्यक्षता में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक निर्धारित करने का निदेश है। निर्धारित बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्ता, बिहार स्वयं भाग लेंगे। उक्त कार्यक्रम में नयाचार पदाधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी स्वयं रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

क्र०	तिथि	आगमन/प्रस्थान समय सारणी	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम	अभ्युक्ति
01	10.08.2019 (शनिवार)	10.00 AM बजे से	नौबतपुर प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं उपर वर्णित पदाधिकारियों के साथ बैठक	
02		12.00 PM बजे से	बिहटा प्रखण्ड		
03		02.00 PM बजे से	मनेर प्रखण्ड		
04		03.00 PM बजे से	दानापुर प्रखण्ड		

Draft Divyangjan (18)-151

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन



सहायक निदेशक  
ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,  
पटना।

ज्ञापांक .....(18)...../दि0स0को0, दिनांक .....9-08-19

- प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सम्बन्धित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को बैठक की व्यवस्था करने एवं भाग लेने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय तथा राज्य आयुक्त निःशक्ता, बिहार, पटना हेतु सुरक्षा/स्कॉट की व्यवस्था करवाने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि:- ज़िला पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- राज्य आयुक्त निःशक्ता, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 901, दिनांक 08.08.2019 के प्रसंग में सादर सूचनार्थ समर्पित।

सहायक निदेशक

ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,  
पटना।



३- मेल

जिला न्यायालय, दरभंगा



न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)  
COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES  
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department, CONFIDENTIAL SET  
बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक: सोसो 08/सा0आ0नि0 (सा0न्या0)-03/2018

9/01/2019

19/01/2019

118/

प्रेषक, डॉ० शिवाजी कुमार,  
राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

सेता में, सहायक निदेशक-सह-जोड़ल पदाधिकारी,  
जिला सामाजिक सुरक्षा-साह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषाग,  
पटना।

विषय :- दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडवोकेसी/समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करने के सम्बन्ध में।

URGENT

महाशय, उक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्वयानुसार तहत पटना जिले के दानापूर अनुमण्डल में दिनांक-10/08/2019 को समीक्षा/जागरूकता बैठक तथा परिवाद की सुनवाई हेतु विभिन्न प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तरीय दिव्यांगजनों की बैठक प्रखण्ड पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजनों के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत धारा-72 में समाहित जिला स्तरीय कमिटी की तरह पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर दिव्यांगजनों के साथ समूह अपेक्षित है।

प्रत्येक पंचायत स्तर पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन (SC Section-2) 21 प्रकार के दिव्यांग में से कम से कम पाँच प्रकार के दिव्यांगजन के साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे-पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी0आर0पी0, सेविगा, ए0एम0एम0 कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे - मुखिया, सरपंच, समाजसेवी, दिव्यांगजन कार्यकर्ता आदि के साथ "पंचायत स्तर का दिव्यांगजन समूह" बनना है।

उसी समूह में से प्रत्येक पंचायत या एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखण्ड स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है, जिसमें प्रखण्ड स्तर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विधवा संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंगण पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविक प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होने (इससे सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न किया गया है)। प्रखण्ड स्तर की दिव्यांगजन समूह की बैठक पर अधोहस्ताक्षरी स्वयं भाग लेंगे।

अतएव प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजनों के समूह का गठन से सम्बन्धित विषय पर जिले के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ दिनांक-10.08.2019 को बैठक हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाय। इस सम्बन्ध में वरार एवं रोहतास जिले में चलन्त न्यायालय कार्यक्रम के दौरान उक्त विषय में समाहरणालय, वरार द्वारा निर्गत पत्रांक-17-346/सा0सु0 दिनांक-18.07.2019 एवं समाहरणालय, रोहतास द्वारा निर्गत पत्रांक-501 दि0-22.07.2019 की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी की कार्यकम विवरण निम्नान्वित है

राज्य आयुक्त निःशक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र० सं०	तिथि	आगमन/प्रस्थान/समय सारणी	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम	अभ्युक्ति
1.		10:00 AM बजे से	दानापूर प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।	सहायक निदेशक-सह-जोड़ल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषाग, पटना
2.	10/08/2019 (शनिवार)	12:00 PM बजे से	बिहार प्रखण्ड		
3.		02:00 PM बजे से	बिहार प्रखण्ड		
4.		03:00 PM बजे से	दानापूर प्रखण्ड		

9387/2019



अपेक्षणीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन के कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कक्ष) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वयं या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उचित सुरक्षापाथों के जॉब करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होगी, अधोहस्ताक्षरी को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी कोर्ट का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है।

अतः सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन संश्लेषण कोषांग, पटना से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए न्यायाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन  
 08.08.19  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।

शापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (स0न्या0)-03/2018

901/आ.198

प्रतिलिपि:-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौवतपुर, बिहटा, मगोर एवं दानापुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाय।

दिनांक-08 अगस्त 19  
 08.08.19  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।

शापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (स0न्या0)-03/2018

901/आ.198

प्रतिलिपि:-दानापुर के अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। दानापुर अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त बैठक में भाग लेने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने स्तर निदेशित करने के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी हेतु सुरक्षा/स्कॉट की भी व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

दिनांक-08 अगस्त 19  
 08.08.19  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।

शापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (स0न्या0)-03/2018

901/आ.198

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यक्रम वितरणी अनुसार बैठक में अपने स्तर से सुरक्षा/स्कॉट की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

दिनांक-08 अगस्त 19  
 08.08.19  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।

शापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (स0न्या0)-03/2018

901/आ.198

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-08 अगस्त 19  
 08.08.19  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।

शापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (स0न्या0)-03/2018

901/आ.198

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचना प्रेषित।

दिनांक-08 अगस्त 19  
 08.08.19  
 राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
 बिहार, पटना।



(02)

THE SCHEDULE

[See clause (zc) of section 2]

SPECIFIED DISABILITY

**I. Physical disability.—**

**A. Locomotor disability** (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

**B. Visual impairment—**

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

**C. Hearing impairment—**

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

**D. "speech and language disability"** means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

**2. Intellectual disability,** a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

**3. Mental behaviour,—**

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

**4. Disability caused due to—**

(a) **chronic neurological conditions,** such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) **Blood disorder—**

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated

101

tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government.

---

DR. G NARAYANA RAJU,  
*Secretary to the Govt. of India.*